लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम-2012
(POCSO ACT- 2012)

केस स्टडी बुकलेट

Centre for Catalyzing Change

न्याय सब के लिए ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

झारखण्ड सरकार GOVERNMENT OF JHARKHAND

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् JHARKHAND EDUCATION PROJECT COUNCIL

झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नवोन्मेष शोध नेतृत्व JCERT

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	01
2	मानव तस्करी	02
3	हिंसा–छेड़छाड़	03
4	बाल विवाह	04
5	यौन हिंसा–शारीरिक छेड़छाड़	05
6	घरेलू हिंसा एवं मादक पदार्थो का दुरूपयोग	06
7	यौन हिंसा–कम उम्र में गर्भधारण	07
8	पोक्सो एक्ट–2012	08–09

प्रस्तावना

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में हर 10 में से एक बच्चा (स्कूल जाने वाले सहित) बाल लैंगिक अपराध का शिकार है। बाल यौन शोषण किसी भी शहर, गाँव, हर वर्ग एवं हर क्षेत्र मे बच्चों के साथ हो सकता है, जिसमें अधिकांश मामलों में अपने रिश्तेदारों, पड़ोसी एवं अनजान व्यक्तियों की भूमिका देखी जाती है। बाल लैंगिक अपराध के तहत सिर्फ शारीरिक शोषण/बलात्कार ही नहीं बल्कि बच्चों के किसी भी अंग या निजी अंगों को गलत तरीके से छूना, उनके निजी अंगों पर टिप्पणी करना, गलत तस्वीर दिखाना तथा अन्य सभी प्रकार के शारीरिक संपर्क जिससे बच्चे असहज महसूस करें। बाल लैंगिक अपराध एक गंभीर अपराध है और इससे प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 53 प्रतिशत लड़के और लड़कियाँ विभिन्न लैंगिक अपराधों का शिकार हो रहे है। उक्त आंकड़ों में 50 प्रतिशत मामलों में शोषणकर्ता/अपराधी जान–पहचान या रिश्तेदार होते हैं। 73 प्रतिशत ऐसे बच्चे अपने साथ हुए दुराचार या यौन शोषण की जानकारी किसी से साझा नहीं करते।

हमारा दायित्व है कि सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास अर्थात् उनकी शारीरिक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास के लिए बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे बाल लैंगिक अपराध, बाल विवाह, मानव तस्करी, हिंसा के विभिन्न प्रकारों (साइबर क्राइम सहित) के बारे में जानकारी देना, POCSO Act 2012 एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अधिनियम के बारे में अवगत करना अनिवार्य है, ताकि बच्चों की सुरक्षा एवं सरंक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। कानून के नजरिये से भी बच्चों के हितों एवं विकास को प्राथमिकता दी जाये। इस मुहिम में हर व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि बच्चों की निजता एवं गोपनीयता का सम्मान हो एवं उसकी सुरक्षा की जाय। POCSO Act 2012 अधिनियम के प्रावधानों में लैंगिक अपराधों की विस्तृत परिभाषा, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की बात, बच्चों के पुनर्वासन, बच्चों के सर्वोच्च हित के लिए विशेष प्रक्रिया की चर्चा की गई है।

सदंर्भित केस स्टडी बुकलेट में झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में घटित बाल लैंगिक अपराध, बाल विवाह, मानव तस्करी एवं अन्य प्रकार के शोषण/हिंसाओं से सबंधित वास्तविक घटनाओं का समावेश किया गया है। उक्त विषयों को सुनियोजित तरीके से सम्बोधित करने हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार जे0सी0ई0आर0टी0 के नेतृत्व में एवं सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज–(सी3) के तकनीकी सहयोग से विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मध्य, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बाल लैंगिक अपराध, बाल विवाह, मानव तस्करी, हिंसा के विभिन्न प्रकारों साइबर क्राइम, मानसिक स्वास्थ्य एवं POCSO Act 2012 सहित महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित कर बच्चों के बीच वर्ग संचालन कर व्यापक जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है। शिकायत पेटी/प्रश्न पेटी का हर विद्यालय में स्थापना एवं बच्चों द्वारा इसके व्यावहारिक प्रयोग पर बल दिया जा रहा है ताकि संवेदनशील विषयों एवं समस्याओं का भी समुचित निराकरण किया जा सके। समुदाय, विद्यालय प्रबंधन समिति एवं त्रैमासिक शिक्षक–अभिभावक संगोष्ठी पर भी इस संवदेनशील विषय पर निरंतर चर्चा की जा रही है।

मैं आशा करता हूँ कि उक्त केस स्टडी बुकलेट एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम इन संवेदनशील विषयों एवं मुददों के प्रति बच्चों एवं समाज में व्यापक जागरूकता फैलाने में मदद, करेगा। इसके साथ ही बच्चों में अपेक्षित स्वावलंबन एवं उनके दैनिक जीवन में आने वाले चुनौतियों से सकारात्मक तरीके से निपटने के कौशल निर्माण, मूल्यपरक व्यवहार एवं इस तरह की घटनाओं को रिपोर्ट करने के साहस को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा।

के० रवि कुमार (IAS)
सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखंड सरकार

बाल तस्करी की श्रृंखला को तोड़नाः ढिपासाई गाँव की केस स्टडी

पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ढिपासाई गाँव मे एक महिला अपने पति एवं एक अन्य व्यक्ति के साथ आए थे। उनकी नजर बगल में अपनी मौसी के याँ रह रही नाबालिग लड़की पर पड़ी। महिला एवं उसके पति ने उस लछ़की को बहला कर शादी का झाँसा देकर उस अन्य व्यक्ति के हाथों बेच दिया। उस व्यक्ति ने साठ हजार रुपये उस महिला एवं उसके पति को दिया तथा राजस्थान पहुँचने पर 40 हजार देने की बात कही। इसके बाद तीनों नाबालिग लड़की को लेकर राजस्थान चले गए।

काफी दिनों तक उस लड़की के घरवाले का उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। जब उसकी मौसी के घर आकर उसके भाई ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वह महिला एवं उसके पति शादी कराने के लिए राजस्थान ले गए हैं। उसके भाई ने इस संबंध में जगन्नाथपुर थाना में केस दर्ज कराया। पलिस की पड़ताल और दबाव के बाद वह महिला और उसके पति पूछताछ के लिए जगन्नाथपुर थाना आए।

पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। उस अन्य व्यक्ति को भी पकड़ कर थाना लाया गया। यहाँ उसने स्वीकार किया कि एक लाख रुपये देकर नाबालिग को खरीदा था। उस अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जगन्नाथपुर थाना में कांड संख्या 15/20 धारा 363/366 (A) 376 (2) (N) भा.द.वि. एवं पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वह नाबालिग लड़की सकुशल अपनम माता–पिता के पास वापस आ गई और अपनी जिंदगी जी रही है।(2) (N) भादवि एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के तहत् मामला दर्ज किया गया था। संध्या अभी राजस्थान में ही है और अपनी जिंदगी अपने सच

विद्यलय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के विषय में इस तरह की बात की इसीलिए रखा गया ताकि इस तरह की घटनाओं को पहले रोकने में मदद मिले ओर किसी के साथ भी ये घटना न हो और लोग जागरूक रहे।

झारखण्ड में ऐसे केस के अनेको मामला है और विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम किशोरवस्था इसकी जानकारी देकर इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और निभा रहा है।

EVE TEASING IN DEOGHAR

Case study

In Deoghar, Jharkhand, there is a determined 16-year-old girl who is currently studying in class 10. She excels in her studies and has a keen interest in sports, drawing, and painting. Recently, she achieved success at the Khelo Jharkhand event by winning a prize in the 100-meter race. Unfortunately, her family faces challenging financial conditions, as her father works as a daily wage laborer, and her mother is a housewife. She is the eldest among her four siblings, taking on the responsibility of being a role model and guide for her younger brothers and sisters. Despite the family's financial struggles, they continue to support in her academic and extracurricular pursuits. Her achievements serve as a source of inspiration for others facing similar challenges in Deoghar.

On her way to school, She frequently encounters instances of eve-teasing. Boys who live near her house consistently make inappropriate comments, causing her fear and discomfort. She is unsure about whom to confide in or seek help from in order to address this issue. Day by day she is getting depressed, not paying attention in classes even she is scared of regularly attending schools. She had no idea of about the helpline numbers, Police or Bal Mitra Police Station etc. At times She even thought of committing suicide.

Action taken

Awareness session

At school, as part of the School Health and Wellness Program, ambassadors conducted a session on Violence and the POCSO Act 2012. The ambassador guided students on utilizing the Question-cum-Complaint box installed in schools and explained the importance of fostering a safe and supportive school environment by addressing various issues that could impact students' mental health. Throughout the session, teachers encouraged students to openly share their concerns. It was during this session that the girl bravely shared her experience of eve-teasing and receiving inappropriate comments with her teacher.

Immediate steps

The Health and Wellness Ambassador, in collaboration with the Head Master, thoroughly discussed the situation with both the girl and her parents. A dedicated counseling session was conducted with the girl, focusing on effective and safe communication, along with providing information on assertive skills. Emergency contact details, including the Child Help Line number 1098 and Tele Manas number 14416, were shared with her.

In response to the incident, the school administration made a decision to highlight such issues in the upcoming Parent-Teacher Meetings (PTM) and take collaborative measures to address and resolve them.

The school administration, in collaboration with the nearby police station, identified the boys responsible for teasing her. They communicated the consequences and outlined the punishments for the inappropriate actions they had committed against the girl.

Early marriage still exists in our society

The case Study

An adolescent girl who had passed class 10th last year from a government school, Gumla now studies in …Plus two government high school. After her matriculation, her parents finalised her marriage as they wanted to get her daughter married as soon as possible because of their economic condition. They had almost finalised a bride for her. However, the girl was not at all in favour of marriage at such an early age. When she was studying in class 10th, she used to attend classroom sessions organised under the School Health and Wellness Program. She had learn that marriage and pregnancy at an early age leads to serious health issues both physically and mentally and irreparable losses in terms of her education, career and pursuance of her dream and aspiration. The Health and Wellness Ambassador in her school made her understand that marrying girls in an early age is still prevalent in our society. The teacher had also explained that the minimum age of marriage is 18 years for girls and 21 for boys. She had also discussed about the ways they can prevent early marriage. So, based on her learning in SHWP classes, the girl was mentally upset about her parents decision.

She could realise the consequences of her parents' decision that her future will be at risk. She therefore was not able to pay attention to her studies. She, however did not lose hope. She tried to convince her parents not to marry her as it could affect her higher education and job/career prospects. But her parents did not agree. They said that the groom is from a good family and she will be happy in her In-laws' house. When her parents did not agree to drop their rigidity, she then approached Anganwadi Sewika of her village for help. Sewika was also associated with the child protection committee in her village. The girl also shared about this with her teacher in school. The teacher and Sewika visited the girl's parents and discussed with them the consequences and risks of early marriage. They emphasized on continuation of the girl's education she had. They also cautioned They parents that early marriage is an offence as per the government law and the parents may be imprisoned. Also, early marriage of the girl will jeopardise her career. After lot of persuasion, the girl's parents realised that it was a wrong decision of marrying their daughter at an early age.

So, they finally dropped this idea. Now the girl is happy and she pays her full attention to her studies.

She says, "The School Health and Wellness Program which I regularly attended in my school gave me the confidence to negotiate with my parents and to stop my marriage at an early age. Now, I can fulfil my dreams."

-The Girl

After this incidence, the school then also conducted a special sensitization session for parents in the Parent Teachers' meeting about the ongoing classes under School Health and Wellness Program and gave clear message to the parents that Child marriage is a deep rooted social problem which adversely affects the lives of girls and therefore parents should not force their daughters to marry early.

Case study

Context

A 12-year-old girl residing in a village in the Rajnagar block of Sarikela district, attends one of the local Govt. middle schools. She has been an active and diligent student, consistently excelling in her studies and never missing a day of school. Despite her daily household responsibilities, getting ready for school remained her top priority every morning.

However, a sudden change occurred when the girl stopped attending school. Concerned about her absence, her school teacher noticed her non-attendance for the past seven days. The teacher decided to inquire about girl's situation and approached her friends to understand the reason behind her prolonged absence. To the teacher's surprise, one of her closest friends revealed that she no longer wished to come to school.

Alarmed by this revelation, the school teacher took the initiative to visit girl's house and engage in a conversation with her to uncover the underlying reasons for her sudden reluctance to attend school.

Ground Zero Report

During interaction teacher came to know that one of the male teacher of the school tried touching her badly and regularly uses abusing language with her. The male Teacher sit next to her and touch her body parts with bad intentions. This made the girl feel embarrassed therefore she decided not to attend school. During her conversation, she told that teachers threaten her not to tell these to anyone otherwise he will give less marks in exam. Hence she decided not to tell this to anybody even not sharing with her parents and stopped attending schools.

Solutions

The School Health and Wellness program has provided a platform for both teachers and students to address challenging situations. Through training, teachers have acquired skills and developed the mindset to engage more effectively with students. This has fostered stronger connections between students and teachers, enabling students to share their concerns without hesitation.

Upon learning about Girl's situation, the Female teacher discussed the matter with the school's Head Master (HM). Together, they decided to summon the male teacher for an investigation. In a joint effort, the HM and the female teacher expressed their concerns to the police station.

Subsequently, the female teacher visited Girl's house and conducted counseling sessions. She reassured that she is not alone at school and entire school administration supports her. The girl was encouraged to reach out to Teachers any time to voice her concerns. The teacher also provided other students in class, the contact information for child helplines, emergency services, and police stations, offering avenues for seeking help. As a result of these efforts, that Girl regained her confidence and started coming to school regularly.

नशापान एवं घरेलू हिंसा

यह घटना जिला राँची मे स्थित सुदूरवर्ती प्रखंढ सोनाहातु के एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा से सबंधित है। हॉकी खेलना उसका एक मुख्य शौक है जिसे खेलना वह बखूबी जानती है। उसका स्वभाव भी मिलनसार है और बहुत जल्द ही लोगों को अपने से प्रभावित करने की एक अदभुत कौशल उसमें विद्यमान थी। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं जिनका शराब पीना एक नियमित आदत था एवं शराब पीकर अपनी पत्नी से लड़ाई करना एवं बुरा भला कहना भी आम बात थी। शराब के नशे में उस छात्रा को भी पीटना उनके स्वाभाविक व्यवहार में से एक था। प्रतिदिन घर में इस तरह का माहौल देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। उसके मन में कभी–कभी यह ख्याल आता था कि वह अपने पिता से बात कर इस तरह के आदतों को न करने हेतु मनाए परंतु पिता के आक्रोश एवं तेवर देखकर वह सहम जाती।

विद्यालय में विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के महत्वपूर्ण सत्रों में से एक सत्र शोषण एवं मादक पदार्थों के दुरूपयोग पर आधारित चर्चा जब मैं (शिक्षक) अपने विद्यालय में कर रहा था तब वह अचानक फूट–फूट कर रोने लगी। मैं पहले थोडा डर गया फिर मैं उस लड़की के पास जाकर रोने का कारण बतलाने को कहा। पूछने पर उसने बताया कि मेरे पिताजी नशा करते हैं साथ ही साथ मेरा एकलौता भाई जो इसी स्कूल में पढ़ता है वह भी नशापान करने लगा है। चर्चा के क्रम में उसने बताया कि उसके पिता ने उसे अपने एक दूर के रिश्तेदार के हाथों बेचने की भी सारी योजना बना ली थी लेकिन उसके माँ के हस्तेक्षप से यह संभव नही हो पाया जिसके कारण उसकी माँ को बहुत प्रताड़ना सहना पड़ा।

सारी बात सुनने के बाद शिक्षक ने उसे सांत्वना देते हुए समझाया कि वह इस समस्या का हल प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ मिलकर जरूर निकालेंगे। कुछ दिनों के अंतराल के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य एवं प्रधानाध्यापक का एक दल उसके के घर गया और उसके अभिभावक और भाई से बात की। बातचीत के दौरान ग्रामीणों के सहयोग से विद्यालय प्रबंधन ने उसके पिता से घरेलु हिंसा, हिंसा के प्रकार एवं नशापान के दुष्परिणामों, नशीले पद्वार्थो भ्रतियां/अवधारणाएँ, नशे की प्रवृत्ति से उबरने एवं कानूनी पहलुओं पर विशेष चर्चा की। साथ ही साथ घरेलु हिंसा के चलते लड़कियों पर पड़ने वाले मानसिक प्रभाव पर भी चर्चा की गयी। सारी बात होने के बाद उसके पिता ने आवश्वासन दिया कि मैं नशा छोड दूँगा एवं अब कभी भी पत्नी एवं बेटी पर अत्याचार नहीं करूँगा। साथ ही साथ अपने जैसे हर अभिभावक को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करूँगा।

गढ़वा की घटना

यह कहानी गढ़वा के विद्यालय में कक्षा 09 में पढ़ने वाली एक नाबालिक लड़की की है। कोविड काल के दौरान उसके माता–पिता का साया सर से उठ चुका था। वह अपने माता – पिता के साथ लातेहार मे रहती थी परंतु माता–पिता के गुजर जाने के बाद वह अपने मामा–मामी के घर, गढ़वा आकर रह रही थी। आठवी तक पढ़ाई करने के बाद वह विद्यालय से ड्रापआउट हो गयी थी। मामा–मामी ने उसे पास के ही एक आवासीय विद्यालय में नामांकन करवा दिया था। वह पढ़ने में साधारण थी परंतु चित्रकला करना उसका प्रमुख शौक था। जल्द ही विद्यालय में नामांकन के बाद वह अपने नये–नये साथियों सें घुल मिल गयी।

विद्यालय में गर्मी की छुटटी के उपरांत वह अपने मामा–मामी के घर आ गयी थी। घर मे रहकर वह अपने मामी के कामों में हाथ बटांती और विद्यालय से दिये गये गृह कार्य को करते रहती। कुछ समय उपरांत गॉव के कुछ लडकों के साथ उसकी दोस्ती हो गयी और उनके साथ भी समय बिताना उसे अच्छा लगने लगा। गर्मियों की छुटटीयॉ समाप्ति के उपरांत पुनः वह विद्यालय पढ़ाई करने के लिए चली आयी। विद्यालय के पढ़ाई में अब उसका उतना ध्यान नही लग रहा था। अक्सर शाम के वक्त वह अपनी अन्य सहेलियों के साथ रहने के बजाय कमरे में बंद हो कर अकेला रहना पसंद करने लगी।

सावधिक परीक्षा में भी उसका अंक पहले से और खराब आया। पढ़ाई में ध्यान नही देने के कारण विद्यालय शिक्षिका ने उससे बात की और ध्यान से पढ़ाई करने के लिए निवेदन भी किया। सर्दी के छुटिटयों के उपरांत पुनः सभी बच्चे अपने अभिभावकों के घर चले गये। विद्यालय खुलने के बाद जब बच्चे लौटकर आए तो पुनः पढ़ाई शुरू हो गयी। अचानक एक दिन रात में वह विद्यालय के बाथरूम मे बेहोश हो गयी। वार्डन, शिक्षिका एवं सहेलियों के सहयोग से उसे पास के सरकारी अस्पताल ले जाए गया। डाक्टरी जॉच के दौरान यह पता चला कि वह लड़की गर्भवती है और स्थिति यह है कि जच्चा एवं बच्चा दोनों का जान का खतरा है। यह सुनकर सभी के होश उड़ गये। सुबह में उसके अभिभावकों को बुलाकर सारी बात बतायी गयी जिसे सुनकर वो लोग भी चितित हो गये।

गहन जॉच के बाद पता चला कि गर्मीयो के छुटटी में जब वह घर आई थी तो पड़ोस मे रहने वाले मामा एक दोस्त जो उससे उम्र में काफी बड़े थे ने उसे मेला घुमाने के बहाने उसके साथ गलत व्यवहार किया था साथ ही साथ यह धमकी दी थी कि वह किसी से इस बात की चर्चा नही करेंगी अन्यथा वह उसे जान से मार देंगे साथ ही साथ उन्होने यह भी कहा था कि इस पूरी घटना का उन्होंने मोबाइल से वीडियों भी बना लिया है जिसे वे सार्वजनिक कर देंगे। इस डर से उस ने इस घटना का चर्चा किसी से नही की।

अगले ही पल पूलिस जॉच के उपरांत मामा के दोस्त को गिरफ्तार कर उसपर पोक्सो एक्ट के तहत धारा लगाकर कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर जेल भेज दिया गया। उस लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसे पास के सेंटर में पालन पोषण के लिए सुपुर्द कर दिया गया।

अतः इस घटना से यह सीख मिलती है कि बच्चों को शोषण के विभिन्न प्रकार, बाल विवाह एवं इसके दुष्परिणाम, आपातकालिन संपर्क नम्बर, सुरक्षा तंत्र के जुड़े लोग, बहकावे, हिंसा के विभिन्न प्रकार, खुद की सुरक्षा, साइबर अपराध एवं इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग आदि महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012

आखिर क्या है पोक्सो कानून?

18 साल से कम उम्र के बच्चों (चाहे लड़का हो या लड़की) के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल (यौनिक) बर्ताव इस कानून के दायरे में आता है। इसके तहत लड़के और लड़की दोनो को सुरक्षा प्रदान किया गया है। अगर इस तरह के मामले आते हैं तो, सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होती है। बच्चों के साथ होने वाले अपराध के लिए उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। 2012 में बने इस कानून के तहत बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी (अश्लील फोटो एवं साहित्य) जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान किया गया है।

पोक्सो कानून की खास बातें क्या है?

- पोक्सो कानून की धारा–3 के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट (प्रवेशन लैंगिक हमला) को परिभाशित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में प्राइवेट पार्ट या अन्य वस्तु डालता है या बच्चे से ऐसा करने को कहता तो उसे प्रवेशन लैंगिक माना गया है। इसके लिए धारा–4 में सजा तय की गई है। दोषी पाए जाने पर मुजरिम के लिए 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना तय की गई है।
- कोई पुलिस कर्मी, टीचर, हॉस्पिटल स्टाफ या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी देखरेख में बच्चा हो या जिसपर बच्चा को भरोसा हो, अगर वह बच्चे के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, अथवा दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर ऐसी हरकत करते हैं, अथवा हथियार के बल पर ऐसा किया जाता है तो ऐसे मामले को गुरूतर प्रवेषन लैंगिक हमला माना जाता है। दोषी करार दिए जाने के बाद मुजरिम को धारा–6 के तहत 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना हो सकती है।
- धारा–7 के तहत सेक्सुअल असॉल्ट (लैंगिक हमला) को परिभाषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को छुता है या बच्चे को अपने प्राइवेट पार्ट को छुने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आश्य के साथ अन्य कोई कार्य करता हो तो धारा–8 के तहत 3 साल से लेकर 5 साल तक कैद तथा जुर्माना हो सकती है।
- बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट (लैंगिक दूराचार/उत्पीड़न) को धारा–11 में परिभाषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति गलत नियत से बच्चों के सामने सेक्सुअल हरकतें करता है, या उसे ऐसा करने को कहता है, पोर्नोग्राफी (अश्लील फोटो एवं साहित्य) दिखाता है, या बच्चों का सीधा या इलेक्ट्रानिक या अन्य तरीके से बार–बार पीछा करता है, देखता है या संपर्क बनाता है तो धारा–12 के तहत 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकती है।
- धारा–13 के तहत अगर कोई व्यक्ति बच्चों के इस्तेमाल अश्लील साहित्य तैयार, प्रसारित एवं वितरण इत्यादि करता है तो यह भी गंभीर अपराध है। ऐसे मामले में धारा–14 के तहत 5 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और जुर्माना हो सकती है।
- इस अधिनियम के अंदर बच्चों के साथ लैंगिक अपराध होने की आशंका या हुए अपराध को रिर्पोट करना अनिवार्य है। रिर्पोट विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को कर सकते हैं। जो कोई व्यक्ति/संस्था/कंपनी लैंगिक अपराध के मामले को रिर्पोट करने में विफल रहता है उसे क्रमशः धारा–21 (1) एवं (2) के तहत छः माह एवं एक वर्ष के कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा।
- पोक्सो कानून से संबंधित धाराओं के अंतर्गत जितनी जल्दी संभव हो प्राथमिकी दर्ज किया जायेगा और रिर्पोट दर्ज कराने वाले व्यक्ति को प्राथमिकी की मुफ्त प्रति दी जाएगी। {नियम 4 (2) (क)}
- जाँच अधिकारी बिना विलम्ब किये 24 घंटे के अंदर पोक्सो के मामले को बाल कल्याण समिति एवं विशेष न्यायालय को रिर्पोट करेंगे। {धारा 24 (1)}
- धारा–28 के अंतर्गत इस प्रकार के मामलों के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान है।
- बच्चे की बात को उसके घर पर ही अथवा बच्चे की पसंद के स्थान पर पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। पुलिस अधिकारी पद में सब इंस्पेक्टर (SI) से नीचे का नहीं होगा {धारा 24 (1)} पुलिस अधिकारी महिला होगी अथवा लड़के के मामले में पुरूष पदाधिकारी भी हो सकते हैं।
- पुलिस अधिकारी बच्चे की पहचान को पब्लिक और मीडिया में जाहिर होने से सुरक्षित करेगा तथा न्यायालय की आज्ञा के बगैर बच्चे के संबंध में जानकारी नहीं दी जाएगी। {धारा 24 (5)}
- मामला चलने के दौरान पूरी प्रकिया, जैसे– सबूत जुटाना, जाँच करना, सुनवाई करना, मामले की रिर्पोटिंग और रिकॉर्डिंग करना आदि के समय बच्चे के हित को देखते हुए काम किया जाएगा।

- पुलिस के द्वारा सबूत को 30 दिन के भीतर रिकॉर्ड किया जाएगा। {धारा 35 (1)}
- धारा 18 के अन्तर्गत बच्चों के लिए किसी तरह का लैंगिक/यौन अपराध को करने का प्रयास करना भी दंडनीय अपराध है।
- विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ट्रायल (विचारण) को पूरा करेगा। {धारा 35 (2)}
- बच्चे की बात को रिकॉर्ड करते समय पुलिस पदाधिकारी वर्दी में नहीं होगा। {धारा 24 (2)}
- जाँच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय या किसी भी प्रकार से अभियुक्त, पीड़ित से संपर्क में नहीं आये। {धारा 24 (3)}
- बच्चे का बयान उसी की भाषा में दर्ज किया जायेगा। {धारा 19 (3)}
- अगर बच्चा अलग भाषा बोलता है तो इसमें द्विभाषीय की सहायता ली जाएगी। {धारा 19 (4)}
- धारा– 26 (3) के तहत अगर बच्चा सुनने, बोलने, देखने आदि से विकलांग हो, तो ऐसे में विशेष शिक्षक से मदद ली जाएगी जो बच्चे की बात समझ सके। इसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- बच्चे का मेडिकल जाँच माता–पिता या अभिभावक की उपस्थिति में किया जाएगा। अगर वे उपलब्ध नहीं हों तो वैसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसपर बच्चे का विश्वास हो। {धारा 27 (3)}
- अगर पीड़ित व्यक्ति बच्ची है तो मेडिकल जाँच महिला डॉक्टर द्वारा किया जाएगा {धारा 27 (2)}
- जहाँ संभव है वहाँ सुनिश्चित करें कि बालक के कथन को श्रव्य–दृश्य माध्यम से सहायक व्यक्ति की उपस्थिति में दर्ज करें। {धारा 26 (4)}
- सीआरपीसी की धारा–164 के तहत वयान का अभिलेखन माता/पिता/सहायक व्यक्ति की उपस्थिति में किया जायेगा। {धारा 26 (1)}
- सहायक व्यक्ति नियुक्त करने के लिए जाँच अधिकारी बाल कल्याण समिति से अनुरोध करेगा
- और इस संबंध में 24 घंटे के अंदर विशेष न्यायालय को सूचित करेगा {नियम 4 (7) (9)}
- जाँच अधिकारी बालक/माता/पिता/संरक्षक/सहायक व्यक्ति को सहायक सेवाओं की प्राप्यता एवं संबंधित व्यक्ति से संपर्क की सूचना देंगे {नियम 4 (2) ड.}
- यदि अपराध किसी बालक द्वारा किया गया है तो मामले को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सुना जाएगा न कि विशेष न्यायालय द्वारा {धारा 34 (1)}
- द्विभाषियों/अनुवादकों विशेष शिक्षकों की सहायता राज्य सरकार की जिला बाल संरक्षण ईकाई से ली जाएगी {धारा 26 (2) एवं नियम–3 (1)}
- विशेष किशोर पुलिस ईकाई/जाँच अधिकारी द्वारा बालक और उसके माता–पिता या सहायक व्यक्ति को निम्न सूचना दी जाएगी {नियम 4 (12)}
- सरकारी और निजी आपात और संकटकालीन सेवाओं की उपलब्धता
- पीड़ित को मुआवजे से संबंधित जानकारी
- न्यायिक कार्यवाहियों की जानकारी जिसपर या तो बालक के उपस्थित होने की अपेक्षा की गई है या वह उपस्थित होने का हक रखता है।

बच्चों के साथ होने वाले हिंसा/यौन हिंसा से सम्बंधित शिकायत करने हेतु
झारखण्ड अपराध अनुसंधान विभाग महिला एवं बाल हेल्पलाइन के इस नम्बर
पर कॉल करें: 8877444444

अगर आपका बच्चा गुमसुम रहता है/ उदासीन रहता है तो परामर्श सहायता पाने के लिए
कॉल करें: 9334915048 (केन्द्रीय मनोरोग संस्थान-राँची)